संख्या- 732/2021/4661/41-2021-317(बजट)/2021

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 22 दिसम्बर 2021**

विषयः- मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के वि0स0क्षेत्रों के चयनित पर्यटन स्थलों के विकास की परियोजना की तृतीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-5638/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 15 दिसम्बर 2021, सं0-5663/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 15 दिसम्बर 2021, पत्र सं0-4818/मु0मं0प0सं0यो0(24)/2021 दिनांक 22 नवम्बर 2021, पत्र सं0-5652/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 15 दिसम्बर 2021, पत्र सं0-5631/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 15 दिसम्बर 2021, पत्र सं0-5297/मु0मं0प0सं0यो0(37)/2021 दिनांक 03 दिसम्बर 2021, पत्र सं0-5646/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 15 दिसम्बर 2021, पत्र सं0-5654/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 15 दिसम्बर 2021, पत्र सं0-5651/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 15 दिसम्बर 2021, पत्र सं0-5648/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 15 दिसम्बर 2021, पत्र सं0-5641/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 15 दिसम्बर 2021, पत्र सं0-5657/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 15 दिसम्बर 2021, पत्र सं0-5643/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 15 दिसम्बर 2021, पत्र सं0-5630/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 15 दिसम्बर 2021, पत्र सं0-5639/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 15 दिसम्बर 2021, पत्र सं0-5629/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 15 दिसम्बर 2021, पत्र सं0-5658/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 15 दिसम्बर 2021, पत्र सं0-5647/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 15 दिसम्बर 2021, पत्र सं0-5656/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 15 दिसम्बर 2021, पत्र सं0-5649/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 15 दिसम्बर 2021, पत्र सं0-5640/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 15 दिसम्बर 2021, पत्र सं0-5637/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 15 दिसम्बर 2021, पत्र सं0-5634/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 15 दिसम्बर 2021, पत्र सं0-5650/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 15 दिसम्बर 2021, पत्र सं0-5655/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 15 दिसम्बर 2021, पत्र सं0-5636/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 15 दिसम्बर 2021, पत्र सं0-5632/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 15 दिसम्बर 2021, पत्र सं0-5653/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 15 दिसम्बर 2021, पत्र सं0-5633/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 15 दिसम्बर 2021, पत्र सं0-5660/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 15 दिसम्बर 2021, पत्र सं0-5644/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 15 दिसम्बर 2021, पत्र सं0-5642/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 15 दिसम्बर 2021, पत्र सं0-5662/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 15 दिसम्बर 2021, पत्र सं0-5645/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 15 दिसम्बर 2021, पत्र सं0-5659/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 15 दिसम्बर 2021, पत्र सं0-5661/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 15 दिसम्बर 2021 एवं पत्र सं0-5635/मु0मं0प0सं0यो0/2021 दिनांक 15 दिसम्बर 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिनके माध्यम से प्रायोजनाओं की तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके प्रस्ताव क्रम में निम्नांकित विवरणानुसार परियोजनाओं की द्वितीय/तृतीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति एतद्द्वारा निर्गत करने का इस प्रतिबन्ध के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं कि धनराशि को सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को आहरित कर अवमुक्त करने से पूर्व प्रत्येक प्रायोजना हेतु निदेशालय द्वारा सूचित की गयी टेण्डर्ड धनराशि एवं अद्यावधि विभिन्न किश्तों में अवमुक्त की गयी धनराशि का मिलान कर पुष्टि कर ली जायेगी:-

क्रमांक	जनपद का नाम	विधान सभा क्षेत्र	परियोजना का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति एवं प्रथम किश्त की वित्तीय स्वीकृति (रूपये लाख में)	द्वितीय किश्त (रूपये लाख में)	टेण्डर्ड लागत के आधार पर द्वितीय/तृतीय किश्त के रूप में स्वीकृत
01	सोनभद्र	घोरावल	ग्राम बहुआर में स्थितज कण्डाकोट मंदिर का पर्यटन विकास	50.00/25.00	12.50	2,21,251.00
		राबर्ट्सगंज	मछन्दर नाथ स्थल का पर्यटन विकास	50.00/25.00	12.50	1,53,429.00
		दुद्धी	लऊआ पहाडी का विकास	50.00/25.00	12.50	1,69,989.00
02	मऊ	मधुबन	मधुबन दिव्य ज्योति जटाधारी शिव मंदिर स्थल शिव पांति का विकास	48.89/24.44	19.55	-
		घोसी	अति प्राचीन हनुमान मंदिर एवं पोखरे तथा परिसर का विकास	46.64/23.32	-	10,20,440.00
		मुहम्मदाबाद गोहाना	ग्राम-देवल, ब्लॉक-मोहम्मदाबाद देवल बाबा स्थल (सूर्य कुण्ड) का विकास	49.84/24.92	19.93	-
		सदर-मऊ	ग्राम-उमापुर वजीर पट्टी में बाबा विश्वनाथपुरी धाम का विकास	48.49/24.24	19.93	-
03	अलीगढ़	छर्रा	श्री दाऊजी मंदिर का पर्यटन विकास	47.41/23.70	11.85	95,802.00
		खैर	जट्टारी जलालपुर हनुमान मंदिर का पर्यटन विकास	47.17/23.58	12.00	1,53,647.00
		अतरौली	बिजौली शिव मंदिर का पर्यटन विकास	48.48/24.24	12.12	1,36,278.00
		बरौली	भूमिया बाबा मंदिर का पर्यटन विकास	47.31/23.65	11.83	1,39,903.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

04	प्रयागराज	सोरावं	फुटहवा महादेव ग्रामसभा कराणाई बहरिया ब्लाक का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास	48.55/24.27	12.14	2,50,048.00
		कोरावं	अति प्राचीन सोभानाथ मंदिर का समेकित का पर्यटन विकास	48.10/24.00	12.05	1,17,424.00
		फूलपुर	दुर्वाषा श्रषि आश्रम का समेकित का पर्यटन विकास	47.87/23.93	11.97	1,30,062.00
		प्रतापपुर	वि0ख0-फूलपुर की ग्रामसभा-लिलहट में स्थित तालाब का सौन्दर्यीकरण	45.14/22.57	11.28	1,12,748.00
		मेजा	ब्रम्ह सुदिष्ट धाम परानीपुर , तहसील मेजा का पर्यटन विकास	47.63/23.81	12.01	97,848.00
		करछना	श्री राघवेन्द्र जी महाराज विराजमान मंदिर बरावं का पर्यटन विकास	49.66/24.80	12.43	1,53,976.00
		प्रयागराज (पश्चिम)	सदर के बरखण्डी महादेव मंदिर सैदपुर एवं डाही गांव स्थित खेड़ुआ तालाब का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण	49.26/24.63	12.31	1,09,457.00
		प्रयागराज (उत्तर)	प्रयागराज स्थित प्राचीन छुवारा हनुमान मंदिर का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण	23.32/11.66	-	6,91,783.00
		प्रयागराज (दक्षिण)	ललितादेवी मंदिर से बरगद घाट तक सड़क एवं मंदिर का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास	48.45/24.22	12.11	1,69,291.00
		बारा	मनकामेश्वर मंदिर का समेकित पर्यटन विकास	47.12/23.56	11.78	1,00,226.00
05	मेरठ	हस्तिनापुर	महा भारत कालीन ग्राम-हस्तिनापुर में प्रवेश द्वार का निर्माण	50.00/25.00	-	12,08,734.00
		मेरठ	मां चण्डी देवी मंदिर नौचन्दी परिसर का पर्यटन विकास	50.00/25.00	-	13,47,936.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

06	ललितपुर	ललितपुर सदर	वि0ख0-तालबेहट स्थित झूमरनाथ पर्यटक स्थल का पर्यटन विकास	49.11/24.55	11.79	1,99,339.00
		महरौली	चुअन जल प्रपात का पर्यटन विकास	49.33/24.66	11.88	1,95,150.00
07	हाथरस	हाथरस शहर	दाऊजी मंदिर का पर्यटन विकास	48.29/24.14	12.07	1,54,335.00
		सिकन्दरामऊ	तारागढ़ देवी का पर्यटन विकास	47.65/23.82	11.91	1,69,051.00
08	जौनपुर	बदलापुर	वि0ख0-बदलापुर में स्थित गौरीशंकर धाम चंदापुर का पर्यटन विकास	50.00/25.00	12.50	94,739.00
		शाहगंज	वि0ख0-सोइथाकला के ग्राम-बरदऊ में बुढ़िया माई स्थल का पर्यटन विकास	49.32/24.66	12.33	76,422.00
		मछलीशहर	वि0ख0-मड़ियाहूं में स्थित हजोसी हनुमान मंदिर का पर्यटन विकास	43.86/22.57	15.10	-
		मड़ियाहूं	वि0ख0-रामनगर के ग्रामसभा सिरिया/सिर में लुम्बनी-बुद्धि मार्ग पर निर्मित सेतु के पूर्व में स्थित पार्क का सौन्दर्यीकरण	50.00/25.00	17.50	-
		मल्हनी	वि0ख0-बक्सा ग्राम-मई में राउर बाबा मंदिर एवं तालाब का सौन्दर्यीकरण	50.00/25.00	12.50	82,304.00
09	औरैया	बिधूना	अलोपा देवी मंदिर	49.65/24.82	-	13,92,000.00
		औरैया	मंगला काली मंदिर औरैया	48.95/24.47	-	13,74,000.00
		दिबियापुर	पुरातन मंदिर भैसोल अछल्दा	49.67/24.83	-	13,91,000.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10	बरेली	विथरी चौनपुर	बुखारा रोड स्थित गोपल सिद्ध शिव मंदिर का पर्यटन विकास	46.01/23.00	11.50	1,05,780.00
11	हरदोई	सवायजपुर	ग्राम-मान नगला बिबियापुर में स्थित रामताल मंदिर का पर्यटन विकास	47.87/23.93	-	14,78,000.00
		शाहाबाद	शाहाबाद नगर में नर्मदा ताल का पर्यटन विकास	48.23/24.11	12.06	1,91,000.00
		गोपामऊ	महर्षि दधीचि कुण्ड (दही) का पर्यटन विकास	42.81/21.40	10.70	2,38,000.00
		साण्डी	ब्रहावर्त तीर्थ स्थल वि0ख0-अहिरौरी, ग्राम-जमुनिहा का पर्यटन विकास	46.75/23.37	11.69	2,52,000.00
		विलग्राम मल्लावा	सोनासीरनाथ शिव मंदिर मल्लावां का पर्यटन विकास	48.58/24.29	12.14	2,45,000.00
		बालामऊ	बालामऊ स्थित हत्याहरण स्थल का पर्यटन विकास	49.06/24.53	12.26	2,18,000.00
12	फतेहपुर	जहानाबाद	प्राचीन पर्यटन स्थल खजुहा का पर्यटन विकास	46.48/23.24	11.62	-
		खागा	वि0ख0-विजयीपुर के ग्राम-किशनपुर स्थित फाल्गुनगिरी बाबा आश्रम एवं रामलीला ग्राउण्ड का पर्यटन विकास	48.99/24.49	12.25	-
13	फर्रूखाबाद	कायमगंज	कम्पिल का स्थानीय पर्यटन विकास	50.00/25.00	20.00	-
14	कौशाम्बी	सिराथू	शितला माता मंदिर कड़ा धाम कौशाम्बी का पर्यटन विकास	45.06/24.00	10.53	22,438.00
		मझंनपुर	अतिशय जैन मंदिर स्थल पभोषा पर पार्क का निर्माण	49.20/24.00	18.04	-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		चायल	सुमरिया माता मंदिर स्थल का पर्यटन विकास	46.81/23.40	11.70	83,842.00
15	शाहजहांपुर	तिलहर	ग्राम-निगोही में दुर्गा देवी एवं बालाजी के प्राचीन मंदिर का पर्यटन विकास	50.00/25.00	10.00	1,49,747.00
		कटरा	प्राचीन शिव मंदिर का पर्यटन विकास	50.00/25.00	08.00	29,900.00
16	इटावा	भरथना	तहसील-चकरपुर प्राचीन भारेश्वर मंदिर भरे का पर्यटन विकास	47.21/23.60	-	13,93,000.00
		इटावा	वि0ख0-बडपुरा के ग्राम-कुण्डेश्वर स्थित शिव मंदिर का पर्यटन विकास	43.21/21.60	-	12,46,000.00
17	झांसी	बबीना	बरूआ सागर स्थित पर्यटक स्थल स्वर्गाश्रम झरने का पर्यटन विकास	46.63/23.30	11.65	76,315.00
		झांसी सदर	मढीया महादेव मंदिर का पर्यटन विकास	46.49/23.25	11.62	91,419.00
		मऊरानीपुर	श्री हनुमान जी सिद्ध मंदिर का पर्यटन विकास	46.03/23.00	11.51	81,635.00
18	चित्रकूट	कर्वी	प्राचीन शिव मंदिर (मडफा किला) का पर्यटन विकास	49.18/24.59	12.29	19,000.00
		मनिकपुर	आनंदी माता मंदिर मऊ का पर्यटन विकास	50.00/25.00	12.50	61,000.00
19	कन्नौज	तिरवां	मां अन्नपूर्णा मंदिर तिरवां का पर्यटन विकास	50.00/25.00	-	14,02,787.00
20	भदोही	भदोही	सर्व शक्ति धाम मंदिर का पर्यटन विकास	48.60/24.30	12.15	1,45,787.00
		ज्ञानपुर	सेमराधनाथ धाम का पर्यटन विकास	48.32/24.16	12.08	2,22,920.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		औराई	ग्राम-अर्जुनपट्टी में स्थित हनुमान मंदिर स्थल का पर्यटन विकास	48.58/24.29	12.14	1,80,374.00
21	चन्दौली	प0 दीन दयाल उपाध्यायनगर	शिव मंदिर एवं तालाब के घाट का सौन्दर्यीकरण	50.00/25.00	-	13,55,770.00
		सकलडीहा	दुर्गा मंदिर का सौन्दर्यीकरण एवं दुर्गा मंदिर के सामने स्थित तालाब के घाट का निर्माण, पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य	50.00/25.00	-	11,62,700.00
		सैयद राजा	शिवाला मंदिर का सौन्दर्यीकरण	50.00/25.00	12.50	1,05,621.00
		चकिया	लतिफशाह बांध एवं मजार का पर्यटन विकास	50.00/25.00	12.50	1,05,485.00
22	कासगंज	पटियाली	अमीरखुसरो की जन्मस्थली पटियाली का पर्यटन विकास	43.81/21.90	10.95	86,175.00
		अमापुर	रापो छितौनी में सीता माता मंदिर का पर्यटन विकास	46.15/23.00	11.57	3,18,335.00
23	जालौन	माधोगढ़	जालौन देवी मंदिर ब्लाक-कुठौन्द स्थित मंदिर का सौन्दर्यीकरण	50.00/25.00	12.50	87,949.00
		कालपी	सूर्य मंदिर मदरा लालपुर कालपी का पर्यटन विकास	50.00/25.00	12.50	88,871.00
		उरई	मां रक्दंतिका देवी मंदिर का सौन्दर्यीकरण	50.00/25.00	12.50	89,692.00
24	मिर्जापुर	छानबे	छानबे के बदेवरानाथ मंदिर का पर्यटन विकास	50.00/25.00	12.50	1,00,018.00
		मिर्जापुर नगर	चेतगंज स्थित मंदिर व तालाब को सम्मिलित कराने एवं मंदिर का सौन्दर्यीकरण	50.00/25.00	12.50	2,14,080.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		मझंवा	मझंवा के वि0ख0-सिटी में स्थित जमुनिया बाजार के समीप श्री गजानन्द महादेव प्राकट्य स्थल का सौन्दीर्यकरण	50.00/25.00	12.50	2,30,414.00
25	प्रतापगढ़	बाबागंज	कुल देवी मंदिर डेरवा प्रतापगढ़ का समेकित पर्यटन विकास	48.09/24.00	10.66	1,32,229.00
		कुण्डा	होदेश्वरनाथ शिव मंदिर का पर्यटन विकास	48.29/24.15	11.83	-
26	एटा	अलीगंज	अलीगंज तहसील में स्थित सराय गहत ग्राम में स्थित शिव मंदिर का पर्यटन विकास	45.57/22.78	11.39	3,12,458.00
27	गाजीपुर	जखनिया	जखनिया के ग्राम अलीपुर मंदरा स्थित प्राचीन शिव मंदिर का पर्यटन विकास।	49.15/24.57	12.29	1,04,400.00
		सैदपुर	चौमुख नाथ धाम धुवार्जुन का पर्यटन विकास।	50.00/25.00	12.50	58,686.00
		गाजीपुर	ग्राम-चोचकपूर, ब्लॉक-करण्डा स्थित मौनी बाबा धाम का पर्यटन विकास।	50.00/25.00	11.25	2,09,286.00
		मोहम्मदाबाद	ब्लॉक भदौरा स्थित ग्राम सकोहा भावरकोल में स्थित बाबा भदेश्वर नाथ मंदिर (शिव मंदिर) का पर्यटन विकास।	50.00/25.00	11.25	2,22,094.00
		जमानिया	सवराई के ब्लॉक भदौरा स्थित ग्राम देवल में बाबा 108 कीनाराम जी मठ का पर्यटन विकास।	50.00/25.00	12.50	63,572.00
28	लखनऊ	मलिहाबाद	प्राचीन शिव मंदिर अहिण्डर माल लखनऊ	49.30/24.65	12.32	2,32,000.00
		सरोजनी नगर	कानपुर रोड स्थित हीरालाल यादव गर्ल्स डिग्री कालेज के बगल में स्थित तालाब को छठ पूजा स्थल के रूप में विकसित किया जाना ।	48.92/24.46	12.23	2,42,000.00
		लखनऊ (उत्तर)	चौक क्षेत्र में स्थित प्राचीन काली मंदिर में मूलभूत सुवधिाओं का पर्यटन विकास।	48.89/24.44	12.23	2,51,000.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		लखनऊ (पूर्व)	कपूरथला स्थित हनुमान मंदिर के पीछे तालाब का सौन्दर्यीकरण।	49.19/24.59	12.30	2,36,000.00
		लखनऊ (कैन्ट)	पिपरा शमशान घाट छावनी परिषद कैन्ट	49.30/24.65	12.32	2,32,000.00
		मोहनलाल गंज	ग्राम समेसी स्थित पौराणिक स्थल राकश वीर बाबा का पर्यटन विकास।	46.16/23.00	11.58	2,39,000.00
29	लखीमपुर खीरी	पलिया	पाण्डेय बाबा मंदिर का पर्यटन विकास	50.00/25.00	--	19,76,000.00
		निघासन	कालीमाता मंदिर एवं बाबा रामदास मोटेबाबा खैरागढ़ का पर्यटन विकास	50.00/25.00	--	19,83,000.00
30	सम्भल	गुन्नौर	ग्राम हिरौनी में प्राचीन शिव मन्दिर का पर्यटन विकास एवं ग्राम न्योरा ब्लाक राजपुरा समाधि बाबा की मणि का पर्यटन विकास।	46.23/23.11	13.00	419.00
31	सीतापुर	महोली	ग्राम ब्रम्हावली में स्थित श्री ठाकुरद्वारा मंदिर का सौन्दर्यीकरण	48.56/24.28	12.14	2,20,000.00
		सीतापुर	भुईयातालो खैराबाद सीतापुर का पर्यटन विकास।	47.37/23.68	11.85	2,20,000.00
		हरगांव	सूर्य कुण्ड पौराणिक तीर्थ स्थल का पर्यटन विकास।	46.00/23.00	18.44	-
		लहरपुर	ग्राम सभा अकबरपुर विकास खण्ड लहरपुर स्थित सुर्यकुण्ड तीर्थ का पर्यटन विकास।	49.38/24.69	12.35	2,37,000.00
		बिसवा	महाराज नगर में दशहरा मेला एवं तालाब का सौन्दर्यीकरण।	49.18/24.59	12.50	2,30,000.00
		सेवता	सेवता में स्थित पक्का घाट (चलहारी घाट) का पर्यटन विकास।	45.88/22.94	--	13,41,000.00
		सिधौली	महाकवि नरोत्मदास की जन्म स्थली ग्राम बाड़ी विकास खण्ड सिधौली सीतापुर का पर्यटन विकास।	48.90/24.45	12.23	2,18,000.00
		मिश्रिख	बीहट वीरम, ब्लाक-मछेरहटा में मंदिर व तीरथ स्थल का पर्यटन विकास	45.59/22.79	11.40	2,27,000.00
32	उन्नाव	बांगरमऊ	चन्द्रिका खेड़ा का पर्यटन विकास।	48.36/24.18	--	9,07,000.00
		सफीपुर	हींगलाज माता मन्दिर का पर्यटन विकास।	49.80/24.00	19.14	-
		मोहान	पिपरेश्वर मंदिर अजगैन, वि0ख0-नवाबगंज का पर्यटन विकास	50.00/25.00	12.50	2,22,000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		भगवन्त नगर	अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद स्मारक स्थल	50.00/25.00	20.00	-
		पुरवा	श्री हनुमान मंदिर, काथा, वि0ख0-असोहा का पर्यटन विकास	47.51/23.75	17.44	-
33	रामपुर	चमरव्वा	प्राचीन शिव मंदिर भमरव्वा ब्लाक चमरव्वा का पर्यटन विकास।	36.90/18.45	9.23	1,05,588.00
		बिलासपुर	गुरूद्धारा छठी पातशाही नवाबगंज का पर्यटन विकास।	48.15/24.00	12.07	4,316.00
		मिलक	तहसील शाहबाद में लक्की बाग में प्राचीन मन्दिर का पर्यटन विकास।	45.69/22.84	11.43	1,51,710.00
34	रायबरेली	रायबरेली	अदितीय बेहटा जल सेतु का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास।	47.80/23.90	--	14,59,000.00
35	वाराणसी	पिण्डरा	दुर्गा माता मंदिर रमईपुर का पर्यटन विकास।	50.00/25.00	12.50	96,967.00
		शिवपुर	विकास खण्ड चिरई गांव अन्तर्गत जाल्हापुर स्थित कच्चा बाबा मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण ।	50.00/25.00	12.50	93,198.00
		वाराणसी (दक्षिण)	कोनिया स्थित माताबारी मंदिर का पर्यटन विकास।	50.00/25.00	12.50	95,416.00
		वाराणसी (कैन्ट)	संतगुरू कबीर प्राकट्य स्थल लहरतारा का पर्यटन विकास।	50.00/25.00	12.50	80,981.00
		सेवापुरी	प्राचीन शिव मंदिर एवं राधाकृष्ण मंदिर शाहंशहपुर का पर्यटन विकास।	50.00/25.00	12.50	98,688.00

3- उपरोक्त प्रस्तर-2 में प्रदान की गई वित्तीय स्वीकृति के क्रम में धनराशि निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर अवमुक्त की जायेगी :-

(1) प्रत्येक परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजना हेतु मूल प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति एवं द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति से संबंधित शासनादेशों में अंकित शर्तों व प्रतिबन्धों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) प्रत्येक परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020,शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020 , शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 , शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 एवं वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनाँक : 22 मार्च, 2021 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) प्रत्येक प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में *तिथिवार विवरण एवं प्रामाणिक प्रपत्र -जी0एस0टी0 इन्वायस* सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च 2021 के प्रस्तर-2(9) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(6) प्रत्येक परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) परियोजनाओं में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**V II**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) प्रत्येक परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(10) प्रत्येक परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) संदर्भगत प्रायोजनाओं में द्वितीय/तृतीय किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण एवं प्रस्ताव के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि इस संबंध में कोई भी सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था /क्षेत्रीय अधिकारियों एवं पर्यटन निदेशालय का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) महानिदेशक पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

4- प्रस्तर-2 में प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार–08- मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2021/बी-1-141/दस-2021-231/2020 दिनांक 20 जनवरी 2021 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- संबंधित जनपदों के जिलाधिकारीगण।
4- **संबंधित कोषाधिकारी** (मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन लखनऊ/ मुख्य कोषाधिकारी कलेक्ट्रेट कोषागार लखनऊ/ संबंधित जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी)
5- सुश्री प्रीति श्रीवास्तव, उप निदेशक पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- संबंधित कार्यदायी संस्था के प्रबन्ध निदेशकगण।
8- संबंधित परियोजना प्रबंधकगण /अधिशासी अभियन्तागण
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ,उ0प्र0 शासन।
10- संबंधित उप निदेशकगण पर्यटन /क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारीगण
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।